समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

छन्नूलाल वल्द डरू चौरसिया
निवासी जिला छतरपुर (म०प्र०) .....आवेदक

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण क्रमाँक 31/स्वप्रेरण निगरानी/अ–6–अ/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 11–04–2011 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, विवादित भूमि स्थित मौजा छतरपुर की खसरा नंबर 3222/4–ख रकवा 6.42 एकड़ एवं खसरा नबर 3224/3 रकवा 1.80 एकड़ का निगरानीकर्ता स्वत्वधारी/भूमिस्वामी है। जिसे उसने दसिया तनय घसीटा काछी से वाहमी विकय से खरीदा था एवं मालकाना एवं खास कब्जा प्राप्त किया था व इस खरीद के आधार पर नामांतरण पंजी वर्ष 1966/67 में श्रीमान राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ था एवं तभी से निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख पर भूमिस्वामी के रूप में सन 2003–04 तक दर्ज चला आया था।

2. यह कि सन् 2007 में निगरानीकर्ता को ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेख में पटवारी ने त्रुटिवश बिना किसी राजस्व अधिकारी के आदेश के भूमि स्वामी के रूप में म.प्र.शासन का नाम दर्ज कर दिया तो सन 2007 में निगरानीकर्ता ने एक आवेदनपत्र त्रुटिसुधार हेतु धारा 115 एवं 116 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत न्यायालय श्रीमान तहसीलदार छतरपुर के यहां प्रस्तुत किया था जिसके राजस्व प्रकरण क. 11–अ–6–अ/2007–08 में दिनांक 26.12.2007 के तहत उक्त भूमि पर आवेदक का नाम पूर्वतः भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज किया गया तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित उक्त आदेश को न्यायालय श्रीमान कलेक्टर छतरपुर ने स्वप्रेरणा निगरानी के तहत कार्यावाही करते हुए विवादित आदेश निरस्त कर विवादित भूमि

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-4147-I-16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्र.क्र. 31/स्वप्रेरणा निगरानी/अ-6-अ/2008—09 में पारित आदेश दि० 11/04/2011 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि स्थित मौजा छतरपुर की खसरा नंबर 3222/4—ख रकवा 6.42 एकड़ एवं खसरा नंबर 3224/3 रकवा 1.80 एकड़ का निगरानीकर्ता स्वत्वधारी/भूमिस्वामी है। जिसे उसने दसिया तनय घसीटा काछी से खरीदकर मालकाना हक एवं कब्जा प्राप्त किया था व इस खरीद के आधार पर नामांतरण पंजी वर्ष 1966/67 में राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ था एवं तभी से निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख पर भूमिस्वामी के रूप में सन 2003—04 तक दर्ज चला आया। सन् 2007 में निगरानीकर्ता को ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेख में पटवारी ने त्रुटिवश बिना किसी समक्ष अधिकारी के आदेश से भूमि स्वामी के स्थान पर शासन का नाम दर्ज कर दिया तो सन 2007 में निगरानीकर्ता ने एक आवेदनपत्र त्रुटिसुधार हेतु धारा 115 एवं 116 म.प्र.भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत न्यायालय श्रीमान तहसीलदार छतरपुर के यहां प्रस्तुत किया था जिसके राजस्व प्रकरण क्र. 11/अ-6-अ/2007—08 में दिनांक 26.12.2007 के तहत उक्त भूमि पर आवेदक का नाम पूर्वतः भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज किया गया तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित उक्त आदेश के पश्चात कलेक्टर छतरपुर ने स्वप्रेरणा निगरानी के तहत कार्यावाही करते हुए तहसीलदार छतरपुर का आदेश दिनांक 26.12.07 निरस्त कर भूमि शासन के नाम	

[क्र. प. उ.

R 4147. I/16 (ओ.ट.(प.)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	दर्ज की गई उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा दि. 01.06.2011 को अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसे दिनांक 02.11.2016 को मूलतः वापिस लेकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है इस कारण समय सीमा माफ करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी तर्क किया है कि कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है उन्होनें आवेदक के नाम प्रस्तुत खसरा पांचसाला को नजरअंदाज करते हुए इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि कयशुदा भूमि पर आवेदक का नाम विधिवत रूप से दर्ज हुआ निष्पादित विकयपत्र के आधार पर किए गए नामांतरण आदेश को स्वमेव निगरानी के तहत निरस्त किया गया है। जबकि तहसीलदार छतरपुर के समक्ष धारा 115–116 के तहत त्रुटि सुधार करने का अधिकार प्रदत्त है ऐसी स्थिति में तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 3– अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता द्वारा तर्क किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। कलेक्टर छतरपुर द्वारा हल्का पटवारी द्वारा 2004–05 वर्ष 2007–08 तक शासन के नाम दर्ज होने के प्रतिवेदन के आधार पर विधिवत प्रक्रिया एवं अधिकारिता के तहत आदेश पारित करते हुए भूमि शासन में दर्ज की है। इस कारण कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखते हुए प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ...R. 4147-I/16... जिला ...छतरपुर...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— उपभपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित भूमि आवेदक द्वारा दसिया तनय घसिटा काछी से खरीदकर मालकाना हक प्राप्त किया था जिसके आधार पर नामांतरण पंजी वर्ष 1966—67 में राजस्व अधिकारी के आदेश दिनांक 12.06.67 के अनुसार आवेदक का नाम दर्ज हुआ है हल्का पटवारी ने त्रुटिवश बिना किसी राजस्व अधिकारी के आदेश से आवेदक के नाम की प्रविष्टि में हस्तक्षेप किए जाने के कारण आवदेक द्वारा धारा 115—116 के तहत त्रुटि सुधार का आवेदन तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें विधिवत प्रक्रिया अनुसार आदेश दिनांक 26.12.2007 को संशोधन कर आवेदक के नाम पुनः सुधार किए जाने का आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत खसरा पांचसाला के अवलोकन से होती है। ऐंसी अधिकारिता तहसीलदार को प्रदत्त होने से तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2007 में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतएव प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.11 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार छतरपुर के प्र.क्र. 11/अ-6-अ/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 26—12—2007 स्थिर रखा जाता है। परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.